कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

F 14 ( ) 2018/FCA/PCCF/CCFEDS –I Dated 7.1.2019

Project Officer Rajasthan State RAJASTHAN STATE ROAD DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CORPORATION LTD. UDAIPUR के द्वारा उदयपुर जिले वनमण्डल उदयपुर में Development of Udaipur – Salumber Road (SH-32) Km 108/500 to 170/500 and Salumber bye pass (0/0 to 6/0) के निर्माण कार्य हेतु 19.268 हेक्टयर वन क्षैत्र के अनारक्षण के लिए ऑनलाईन प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/ROAD/34855/2018 पर दिनांक 6.8.2018 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पत्र दिनांक 31.1.2019 से प्रस्ताव में पार्ट I, II, एवं III की पूर्ती किये जाने पर प्रस्ताव के परीक्षण किये जाने पर टिप्पणी निम्नानुसार है :–

1. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या K में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर दिये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है।
2. प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या L में यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि का विवरण संलग्न नही किया गया है। गैर वन भूमि वन विभाग को दिये जाने सें संबंधित आदेश एवं KML file, GT Sheet & DGPS map दिया जाना प्रस्तावित है।
3. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 4 में प्रसतावित वन भूमि का छत्र घनत्व 0.8 दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव में मात्र 538 वृक्ष आना अंकित किया गया है। इसका पुनः निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
4. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 में प्रसतावित वन भूमि का कार्य आयोजना विवरण अंकित नही किया गया है।
5. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव में 12 कि0मी0 की दीवार निर्माण हेतु शर्त अंकित की गई है किन्तु उसकी राशि का प्राकलन एवं उसकी औचित्यता अंकित करते हुए मुख्य वन संरक्षक की टिप्पणी लिया जाना प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा 538 वृक्षों की सूची संलग्न की गई है। इसमें से कितने वृक्षों का पातन किया जावेगा यह स्पष्ट किया जाना प्रसतावित है।
7. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना (वर्तमान श्रमिक दरों 213/– प्रति मानव दिवस के अनुसार 164100.00 प्रति है0 अनुसार) एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रसतावित है।
8. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नही की गई है।
9. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति में अधिकांश (विशेषकर वचनवद्वताओं) दस्तावेजों में हस्ताक्षर नही किये गये है जो प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक उदयपुर को निर्देशित किया जाता है।

8/2/19

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR